

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

## मलेशियाई एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (एमएसीएस) ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों को मानदंड के रूप में अपनाया

Posted On: 14 SEP 2017 3:37PM by PIB Delhi

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एमएसीएस के सचिवीय मानकों के विकास में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) जारी किए गए सचिवीय मानकों को मानदंड के रूप में अपनाने के लिए मलेशियन एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (एमएसीएस) के अनुराध को मंजूरी दे दी है।

निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों के बारे में सचिवीय मानकों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 की उप-धारा 10 के तहत मंजूरी दी थी और यह 1 जुलाई, 2015 से प्रभावी हैं। यह प्रतिष्ठा की बात है कि कोई विदेशी संस्थान अपने इसी तरह के मानकों को तैयार करने के दौरान भारतीय मानकों को अपना रहा है या इनहें मानदंड बनाया है।

\*\*\*\*

वीके/आईपीएस/एसके-3771

(Release ID: 1502825) Visitor Counter: 9









in